दिनांक 14.01.2012 को जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में आई0सी0डी0एस0 की मासिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

- **उपस्थिति :-**

1. कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर।
2. ब्रज बिहारी शर्मा, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर।
3. मीरा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, सदर, मुंगेर।
4. रंजू देवी, बाल विकास परियोजना पदा0, सदर, ग्रामीण।
5. वीणा रानी, बाल विकास परियोजना पदा0, बरियारपुर।
6. गुंजन मौली, बाल विकास परियोजना पदा0, धरहरा।
7. सुधा गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदा0, तारापुर।
8. आशा रानी सिंह, बाल विकास परियोजना पदा0, खड़गपुर।
9. सुषमा कुमारी, बाल विकास परियोजना पदा0, संग्रामपुर।
10. आशा रानी सिंह, बाल विकास परियोजना पदा0, टेटियाबंबर।
11. सभी महिला पर्यवेक्षिका।

बैठक में मुख्य रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों का वार्डवार परिसीमन एवं आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गयी एवं निम्न निदेश दिये गये

<u>आंगनबाड़ी केन्द्रों भवन की स्थिति :-</u>

(1) तारापुर :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, तारापुर द्वारा बताया गया कि जितने भी आंगनबाड़ी केन्द्र हैं वे अधिकांशतः सामुदायिक भवनों में संचालित है। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि तारापुर परियोजनान्तर्गत कार्यान्वित सभी सामुदायिक भवनों को आंगनबाड़ी केन्द्र के रूप में अधिसूचित करते हुए IAP योजना से एक GPT चापाकल एवं अंशतः मरम्मति हेतु अधिकतम 1,00,000 (एक लाख) रू0 का provision किया जाय जिससे 84 में से 40 आंगनबाड़ी केन्द्र पूर्णतः भवनयुक्त कार्यान्वित हो जाएंगे एवं शेष किराये पर चल रहे भवनों में कम-से-कम 25 आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए जमीन की उपलब्धता बाल विकास परियोजना पदा0 से प्राप्त कर सूचित करें ताकि उचित निर्णय लिया जा सके।

(2) धरहरा :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, धरहरा ने अवगत कराया कि धरहरा परियोजनान्तर्गत 146 केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें अत्यन्त क्षीण अवस्था में 10 से कम केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहे है तथा 146 केन्द्रों में 60 से अधिक पांच पंचायतों में है जो आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अन्तर्गत भी चयनित है, अतः आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के निर्माण में सर्वप्रथम प्राथमिकता धरहरा प्रखंड को दी जानी चाहिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के समर्पित प्रतिवेदनानुसार केन्द्र सं0 19 एवं 45 पूर्ण है तथा केन्द्र सं0 67 एवं 73 नाबार्ड वित्त पोषित भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, धरहरा दक्षिण भवन

निर्माण विभाग से बनना था जिसके लिए जगह अनुपलब्ध रहने के कारण कार्य बंद है। बाल वि0 परि0 पदा0 ने बताया कि इसके अतिरिक्त कोई भी भवन निर्माणाधीन नही है। जिला योजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा समेकित किये गये प्रतिवेदन के अनुसार लगभग 19 केन्द्रों के लिए भूमि का विवरण प्राप्त है। निदेश दिया गया कि लगभग 70 केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करें।

(3) खड़गपुर :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार कुल 306 स्वीकृत केन्द्रों में 224 केन्द्र कार्यरत् हैं जिसमें 90 केन्द्र सामुदायिक भवन अथवा पंचायत भवन में चल रहे हैं। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा यह शिकायत की गयी कि जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र सामुदायिक भवन अथवा पंचायत भवन में चल रहे हैं वहाँ के वार्ड सदस्य, मुखिया या आस-पास के असामाजिक प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा अपने निजी उपयोग में लाया जा रहा है जिसके कारण काफी परेशानी होती है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक भवन अथवा पंयायत भवन में कार्यरत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के लिए IAP योजना से एक GPT चापाकल एवं अंशतः मरम्मति हेतु राशि का provision किया जाय। उक्त भवनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि लगभग 100 केन्द्रों के भवन निर्माण का प्रस्ताव तैयार करें।

(4) टेटियाबंबर :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के प्रतिवेदनानुसार 88 में 40 केन्द्र सामुदायिक भवनों में कार्यरत् है तथा 03 में से 01 नाबार्ड वित्त पोषण से तैयार हो चुका है तथा एक भवन बिहार शिक्षा परियोजना से बन रहा है। निदेश दिया गया कि सामुदायिक भवन अथवा पंयायत भवन में कार्यरत् आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों के लिए IAP योजना से एक GPT चापाकल एवं अंशतः मरम्मति हेतु राशि का provision किया जाय। साथ ही बाल विकास परि0 पदा0 को निदेश दिया गया कि लगभग 25 केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन देंगे जिसमें अपने स्तर से 10 एवं आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक पंचायतों से दो-दो केन्द्रों को शामिल करते हुए प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करायेंगे।

(5) असरगंज :- बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि 70 केन्द्रों में 10 केन्द्रों में भवन उपलब्ध नहीं है तथा पूर्व में 11 केन्द्रों का प्रस्ताव दिया गया है। 57 केन्द्र सरकारी भवन में संचालित हैं। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्व में भेजे गये 11 केन्द्रों के प्रस्ताव में चार केन्द्रों के अतिरिक्त किसी में खाता-खेसरा का अंकन नहीं किया गया है। निदेश दिया गया कि अंचल अधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संयुक्त रूप से निरीक्षण कर उक्त भूमि का खाता-खेसरा एवं अन्य पूर्ण जानकारी संकलित कर प्रस्ताव पुनः भेंजे।

(6) **संग्रामपुर :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने बताया कि पूर्व में 18 केन्द्र भवनों का प्रस्ताव जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है एवं वर्तमान में 21 केन्द्र सामुदायिक भवन तथा 12 विद्यालय परिसर में चल रहे हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि कम-से-कम 20 पुराने आंगनबाड़ी केन्द्रों के GPT एवं जीर्णोद्धार का प्रस्ताव देंगी।

(7) **सदर ग्रामीण :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि ग्रामीण परियोजना में 168 केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें 16 केन्द्र सामुदायिक भवन एवं 16 केन्द्र विद्यालय परिसर में चल रहा है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि अधिकतम केन्द्रों के लिए भूमि उपलब्धता का प्रस्ताव समर्पित करें।

(8) **सदर :-** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सदर शहर परियोजना अन्तर्गत 125 केन्द्र स्वीकृत हैं तथा पूर्व में 05 केन्द्रों का विद्यालय परिसर में भूमि का प्रस्ताव जिला प्रोग्राम कार्यालय को भेजा गया है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जो केन्द्र विद्यालय परिसर में संभव नहीं है तो उसकी स्थलीय जांच कर ही प्रस्ताव देंगी।

(9) **बरियारपुर :-** बरियारपुर परियोजना अन्तर्गत 92 केन्द्र स्वीकृत हैं जिसमें 10 केन्द्र सरकारी भवनों में चल रहा है। उनके द्वारा बताया गया कि निरीक्षण के क्रम में कई ऐसे केन्द्र भी संचालित पाये गये जो अपने स्वीकृत भवन/स्थल पर नहीं चल रहे हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि सर्वप्रथम ऐसे केन्द्रों की सूची तैयार कर लें जो अपने स्वीकृत भवन/स्थल पर नहीं चल रहे हैं। तत्पश्चात अंचल अधिकारी/प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी संयुक्त रूप से उक्त केन्द्रों का स्थलीय जांच कर भौतिक सत्यापन कर लें कि क्या उक्त केन्द्रों पर वहाँ के वार्ड सदस्य/मुखिया/जनप्रतिनिधि अथवा अन्य किसी असामाजिक प्रवृति के व्यक्तियों द्वारा उद्दंडता तो नहीं किया जा रहा है। यदि स्थलीय जांच के क्रम में ऐसा पाया जाता है तो उक्त वार्ड सदस्य/मुखिया/जन प्रतिनिधि/असामाजिक तत्व के विरूद्ध पद्च्यूति/कार्रवाई का प्रस्ताव अधोहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करेंगे।

(10) **जमालपुर :-** बाल विकासपरियोजना पदाधिकारी, जमालपुर के अवकाश पर जाने के कारण उनके परियोजना की समीक्षा नहीं की जा सकी। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि उनके मुख्यालय वापस आने पर उनसे आंगनबाड़ी केन्द्र भवन के लिए भूमि उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त कर परियोजनावार प्रतिवेदन संकलित कर अधोहस्ताक्षरी को उपस्थापित करेंगे।

अन्ततः समीक्षा के उपरान्त यह निष्कर्ष परिलक्षित होता है कि धरहरा, बरियारपुर, सदर ग्रामीण एवं जमालपुर परियोजना की स्थिति अच्छी नहीं है जबकि सदर शहरी में भूमि उपलब्धता की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

वार्डवार परिसीमन :-

जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर को निदेश दिया गया कि चूँकि सदर ग्रामीण द्वारा वार्डवार परिसीमन हेतु तैयार की गयी सूची का प्रपंत्र ठीक है, तथापि उसी प्रपत्र में अन्य सभी बाल विकास परियोजना को सूची तैयार करने हेतु प्रपत्र की छायाप्रति उपलब्ध करायी जाय। तदुपरान्त सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उक्त प्रपत्र में आंकड़ों का समावेश कर पंचायतवार सूची अधोहस्ताक्षरी को यथाशीघ्र उपलब्ध करायेंगी। सूची तैयार करते समय यह ध्यान रखा जाय कि जिस वार्ड में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं उसी वार्ड की प्रविष्टि प्रपत्र में करनी है तथा जहाँ आंगनबाड़ी केन्द्र एवं सेविका एक ही वार्ड की है उसकी सूची अलग से तैयार करनी है। साथ ही मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों की सूची अलग से तैयार करनी है।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह० 20/03/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 275/प्रो0, दिनांक 20-3-12

प्रतिलिपि :- उप विकास आयुक्त, मुंगेर/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, मुंगेर/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 20/03/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक 275/प्रो0, दिनांक 20-3-12

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह० 20/03/12

(कुलदीप नारायण)
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।